लेखा-योग

१२५· विअविअ विधेयक २००६ – भाग ४ मई – ०६/ रा· वैशाख १९२८ ; फरवरी – ०७ में प्रकाशित

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से) १
१७· सम्पत्ति की नीलामी १
१८· जालसाजी का अपराध १
१९· प्रतिबंध का अधिकार २
२०· अपराधों का राजीनामा २
२१· दूसरी संस्थाओं को पैसा देना ३
२२· सरकार से अपील ३

लेखा योग के अंक १२४ से आगे· · ·

जन-सेवी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से)

१७· सम्पत्ति की नीलामी

इस नये विअविअ[१] विधेयक में एक नया प्रावधान[२] विअविअ सम्पत्तियों के निपटान (disposal) से सम्बन्धित है। अब सरकार के पास यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि विदेशी अभिदाय से बनाई या खरीदी गई किसी विशेष सम्पत्ति (assets) का कैसे निपटारा किया जाए। इस सम्बन्ध में अपनाई

जाने वाली प्रक्रिया भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

ऐसा तभी किया जाएगा जबः

(i) जन-सेवी संस्था निष्क्रिय हो गई हो अथवा बंद होने वाली हो; तथा,

(ii) उसके पञ्जीकरण अधिनियम[३] के अन्तर्गत सम्पत्तियों के निपटान के संदर्भ में कोई प्रावधान न हो।

१८· जालसाजी का अपराध

विअविअ विधेयक में एक नई धारा ३३[४] भी सम्मिलित की गई है। मान लें कि कोई व्यक्ति जान-बूझकर गलत (false) वार्षिक रिटर्न (वर्तमान में एफ सी-३) भेजता है अथवा प्राप्तियों[५] के बारे में झूठा संकेत देता है। अथवा कोई व्यक्ति धोखे से या झूठी

[१] विअविअ – विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ [Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

[२] *Disposal of assets created out of foreign contribution.* 22. Where any person who was permitted to accept foreign contribution under this Act, ceases to exist or has become defunct, all the assets of such person shall be disposed of in accordance with the provisions contained in any law for the time being in force under which the person was registered or incorporated, and in the absence of any such law, the Central Government may, having regard to the nature of assets created out of foreign contribution received under this Act, by notification, specify that all such assets shall be disposed off by such authority, as it may specify, in such manner and procedure as may be prescribed.

[३] वह अधिनियम जिसके अंतर्गत जन-सेवी संस्थाएँ मूलतः पञ्जीकृत थी, उदाहरणार्थ – संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० अथवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०, आदि।

[४] *Making of false statement, declaration or delivering false accounts.* 33. Any person, subject to this Act, who knowingly, -

(a) gives false intimation under sub-section (c) of section 9 or section 18; or

(b) seeks prior permission or registration by means of fraud, false representation or concealment of material fact,

shall, on conviction by a court, be liable to imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

[५] विअविअ विधेयक २००६ की धारा ९ (सी) के अन्तर्गत।

जानकारी द्वारा अथवा महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर विअविअ पञ्जीकरण अथवा पूर्वानुमति लेने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्षों तक का कारावास हो सकता है।

विधेयक के इस प्रावधान से संस्थाओं के केवल मुख्य अधिकारी ही प्रभावित होंगे, जो अधिकतर एफ सी-३ अथवा पञ्जीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं।

१९. प्रतिबंध का अधिकार

वर्तमान विअविअ (१९७६) के अन्तर्गत सरकार किसी विशेष व्यक्ति या संघ (association) को निर्देश दे सकती है कि उनको कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी। यदि विअविअ विधेयक २००६ पारित हो जाता है तो सरकार के इस ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार निम्नलिखित को पूर्वानुमति की सूची में रख सकेगीः-

- व्यक्तियों या संघों (associations) की सम्पूर्ण वर्ग श्रेणी (चाहे विअविअ में पञ्जीकृत हों या नहीं);
- कोई भी भौगोलिक क्षेत्र;
- कोई भी विशेष प्रयोजन;
- कोई भी विशेष स्रोत।

यह कार्य व्यावहारिक रूप से कैसे किया जाएगा ? उदाहरण के लिए - सरकार यह कह सकती है कि किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता है। या सरकार यह भी कह सकती है कि किसी विशेष राज्य में कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सरकार यह भी कह सकती है कि किसी भी "कखग दातव्य संस्था (xyz funding agency)" से कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्रवर्तन के नजरिये से विदेशी अभिदाय पर अधिक कुशलतापूर्वक नियत्रंण करने में सरकार की सहायता के लिए इस प्रावधान[६] को तैयार किया गया है।

२०. अपराधों का राजीनामा

विअविअ विधेयक २००६ के अन्तर्गत एक प्रावधान यह भी किया गया है जिसमें सरकार से किसी विअविअ अपराध के लिए राजीनामा[७] किया जा सकता है।

---

[६] Section 11 (3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify –

(i) the person or class of persons who shall obtain its prior permission before accepting the foreign contribution; or

(ii) the area or areas in which the foreign contribution shall be accepted and utilised with the prior permission of the Central Government; or

(iii) the purpose or purposes for which the foreign contribution shall be utilised with the prior permission of the Central Government; or

(iv) the source or sources from which the foreign contribution shall be accepted with the prior permission of the Central Government.

[७] *Composition of certain offences*. 41. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act (whether committed by an individual or association or any officer or employee thereof), not being an offence punishable with imprisonment only, may, before the institution of any prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such sums as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to an offence committed by an individual or association or its officer or other employee with in a period of three years from the date on which a similar offence committed by it or him was compounded under this section.

Explanation. – for the purposes of this section, any second or subsequent offence committed after the expiry of a period of three years from the

इस तरह से यह प्रावधान जन-सेवी संस्थाओं एवं विअविअ विभाग दोनों को महँगी मुकदमेबाजी में धन व्यय करने से बचाएगा।

इसका क्या मतलब है ? मान लें कि एक अपराध हो जाता है जिसके लिए कोई अर्थदण्ड या इस तरह का कोई जुर्माना निर्धारित किया गया है। न्यायालय में जाने तथा जुर्माना देने के बदले में जन-सेवी संस्था के पास एक विकल्प होगा जिसमें वह इस अपराध के लिए राजीनामे का आवेदन कर सकती है। इसके बाद विअविअ विभाग जन-सेवी संस्था पर जुर्माना लगाएगा। इस जुर्माने को देकर संस्था अपने ऊपर लगने वाले अभियोग से बच सकेगी।

यह कुछ-कुछ यातायात चालान की तरह है। अगर आप लालबत्ती पार करते हुए या अधिक गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप के पास विकल्प होता है कि आप इस अपराध के लिए जुर्माना देकर निपटारा कर सकते हैं। इसे साधारणतः यातायात चालान के नाम से जाना जाता है। अगर आप यह जुर्माना नहीं देते हैं तो आपका लाइसेंस (driving license) ज़ब्त कर लिया जाता है तथा आपको न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश होना पड़ता है। अधिकांश लोग इस चालान राशि का भुगतान कर मामले को वहीं सुलझाना अधिक पसंद करते हैं।

२१· दूसरी संस्थाओं को पैसा देना

वर्तमान विअविअ (१९७६) के अन्तर्गत जन-सेवी संस्थाएँ विदेशी अभिदाय को किसी भी अन्य जन-सेवी संस्था को, जो विअविअ में पञ्जीकृत नहीं है, नहीं दे सकती हैं। हालाँकि विअविअ में इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से नहीं की गई है, परन्तु यह मंत्रालय द्वारा दिए गये पञ्जीकरण पत्र में स्पष्ट किया गया है।

विअविअ २००६ में एक विशेष प्रावधान[८] द्वारा इस स्थिति को और अधिक मज़बूत किया गया है।

२२· सरकार से अपील

विअविअ २००६ में एक नया प्रावधान आदेशों का संशोधन है। इस प्रावधान[९] के अन्तर्गत सरकार पहले

---

date on which the offence was previously compounded, shall be deemed to be a first offence.

(3) Every officer or authority referred to in sub-section (1) shall exercise the powers to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the Central Government.

(4) Every application for the compounding of an offence shall be made to the officer or authority referred to in sub-section (1) in such form and manner along with such fees as may be prescribed.

(5) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(6) Every officer or authority referred to in sub-section (1) while dealing with a proposal for the compounding of an offence for a default in compliance with any provision of this Act which requires by an individual or association or its officer or other employee to obtain permission or file or register with, or deliver or send to, the Central Government or any prescribed authority any return, account or other document, may, direct, by order, if he or it thinks fit to do so, any individual or association or its officer or other employee to file or register with, such return, account or other document within such time as may be specified in the order.

[८] '*Prohibition to transfer foreign contribution to other person*. 7. No person who-

(a) is registered and granted the certificate or obtained prior permission under this Act; and

(b) receives any foreign contribution,

shall transfer such foreign contribution to any other person unless such other person is also registered and granted the certificate or obtained the prior permission under this Act.'

[९] *Revision of orders by Central Government.* 32. (1) The Central Government, may, either of its

जारी किये गये किसी भी आदेश का संशोधन कर सकती है।

यह सरकार द्वारा स्वयं किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम समय सीमा एक वर्ष की है।

यह संशोधन किसी विअविअ पञ्जीकृत संस्था द्वारा आवेदन करने पर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी समय सीमा एक वर्ष की ही है। इसकी गणना संस्था द्वारा आदेश की प्राप्ति की तिथि से की जाती है। कुछ परिस्थितियों में सरकार द्वारा इस समय सीमा की अनदेखी भी की जा सकती है।

लेखा-योग के अङ्क संख्या १२६ में क्रमशः . . .

---

own motion or on an application for revision by the person registered under this Act, for revision, call for and examine the record of any proceeding under this Act in which any such order has been passed by it and may make such inquiry or cause such inquiry to be made and, subject to the provisions of this Act, may pass such order thereon as it thinks fit.

(2) The Central Government shall not of its own motion revise any order under this section if the order has been made more than one year previously.

(3) In the case of an application for revision under this section by the person referred to in sub-section (1), the application must be made within one year from the date on which the order in question was communicated to him or the date on which he otherwise came to know of it, whichever is earlier:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such person was prevented by sufficient cause from making the application within that period, admit an application made after the expiry of that period.

(4) The Central Government shall not revise any order where an appeal against the order lies but has not been made and the time within which such appeal may be made has not expired or such person has not waived his right of appeal or an appeal has been filed under this Act.

(5) Every application by such person for revision under this section shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.…'

लेखा·योग क्या है – 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग ३५०० व्यक्तियों को भेजा जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन (reproduction) या पुनर्वितरण (re-distribution) को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

विधि-व्याख्या – यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप – लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। कुछ लेखा·योग के अङ्कों तथा इस अंक का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग – This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

अकाउण्टएड पुड़िया (capsule) – जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड पुड़िया में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई-प्रेष करें।

पत्राचार – आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है – अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली – ११० ०१४; दूरभाष – ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/ प्रतिरूप प्रेषिका – २६३४ ६०४१; ई-मेल – accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India विक्रम संवत् २०६३ फाल्गुन; फरवरी २००७ ईस्वी।

tRS,AB/rAB,RS/sAB/fAB/cpSA